झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — नवम्(मॉनसून) सत्र

संख्या-04 — बुधवार, दिनांक-03 अगस्त, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.50 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन से आग्रह किया कि दिनांक-02.08.2022 को सदन से निलम्बित चार माननीय सदस्यों को ससम्मान सदन में बुलाया जाय।)

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

i- अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-25

(क) उत्तरित कुल-04, अ० सू०-08, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०,

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनके सहयोग से समस्या का समाधान शीघ्र ही निकाल लिया जायेगा।)

	अ० सू०-38,	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०,
	अ० सू०-39,	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	स०वि०स०,
	अ० सू०-40,	प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ट मात्र-01,	अ० सू०-37,	श्री राज सिन्हा,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-20,	अ० सू०-41 से लेकर अ० सू०-60 तक।		

ii- तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-56

(क) उत्तरित कुल-09, तारां०-86, श्री रामदास सोरेन, स०वि०स०,

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने दिनांक-02.08.2022 को सदन से निलम्बित किये गये माननीय सदस्यों को सदन में ससम्मान लाये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया। इस क्रम में इनके दल के अधिकांशतः माननीय सदस्य उनके समर्थन में पुनः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात् उक्त सभी माननीय सदस्य विरोधस्वरूप सदन से बाहर चले गये।)

तारां०-90,	श्री कमलेश कुमार सिंह,	स०वि०स०,
तारां०-91,	श्री नलिन सोरेन,	स०वि०स०,
तारां०-92,	श्रीमती सीता सोरेन,	स०वि०स०,
तारां०-97,	श्री संजीव सरदार,	स०वि०स०,
तारां०-98,	श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०,
तारां०-100,	श्री कमलेश कुमार सिंह,	स०वि०स०,
तारां०-102,	श्री रामदास सोरेन,	स०वि०स०,

क्र०पृ०उ०

	तारां०-104,	श्री रामचन्द्र सिंह,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ट कुल-09,	तारां०-87,	श्री अमर कुमार बाउरी,	स०वि०स०,
	तारां०-88,	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,	स०वि०स०,
	तारां०-89,	श्री केदार हजरा,	स०वि०स०,
	तारां०-93,	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	स०वि०स०,
	तारां०-94,	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	स०वि०स०,
	तारां०-95,	श्री भानू प्रताप शाही,	स०वि०स०,
	तारां०-99,	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	स०वि०स०,
	तारां०-101,	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	स०वि०स०,
	तारां०-103,	श्री नारायण दास,	स०वि०स०।
(ग) स्थगित मात्र-01,	तारां०-96,	श्रीमती सीता सोरेन,	स०वि०स०।
(घ) अनागत कुल-37,	तारां०-105 से लेकर तारां०-141 तक।		

2.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ा गया-

श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री मंगल कालिन्दी,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री रामदास सोरेन,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री सरयू राय,
श्री दशरथ गागराई,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्रीमती ममता देवी,
श्री भूषण तिर्की,
श्री संजीव सरदार,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री भूषण बाड़ा,
श्री निरल पुरती,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री प्रदीप यादव।

नोटः-माननीय सदस्य, सर्वश्री किशुन कुमार दास, श्री नारायण दास, माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव एवं माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा के सदन मे अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा शून्यकाल की सूचनायें नहीं पढ़ी गयी।

क्र० पृ०उ०

3.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री उमाशंकर अकेला द्वारा निवेदन समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5.विधायी कार्य:-

(क) पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-86 तक, खण्ड 01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के अध्याय-02, खण्ड-01, अध्याय-01, खण्ड-01 प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

क्र०पृ०उ०

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो एवं माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ग) **झारखण्ड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान, विधेयक-2022**

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-07 तक, खण्ड-08, खण्ड-09, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान, विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया संशोधन सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

(घ) **झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2022**

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-19 एवं खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2022**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

तदुपरांत सभा की कार्यवाही गुरुवार, **दिनांक-04.08.2022 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 03 अगस्त, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।